

परीक्षा संबंधी नियम

1. परीक्षा अग्रांकित पर आधारित है: (क) सेमेस्टर परीक्षा (ख) सतत मूल्यांकन/आंतरिक मूल्यांकन तथा (ग) सापेक्षिक ग्रेडिंग व सेमेस्टर ग्रेड अंक औसत और संचयी ग्रेड अंक औसत प्रणाली।
2. सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में (सैद्धांतिक, आंतरिक और प्रायोगिक में) अगल-अलग 36% अंक अर्जित करने होंगे।
3. (क) तीसरे सेमेस्टर में क्रमोन्नत होने के लिए, अर्थात् पहले अकादमिक वर्ष के अंत में, विद्यार्थी को दोनों सेमेस्टर्स के सभी विषयों/प्रश्न-पत्रों के 50% में उत्तीर्ण होना होगा। तभी वह अगले अकादमिक वर्ष में क्रमोन्नत होने के लिए अर्हित होगा।
(ख) पाँचवें सेमेस्टर में क्रमोन्नत होने के लिए अर्थात् दूसरे अकादमिक वर्ष के अंत में, विद्यार्थी को चारों सेमेस्टर्स (I, II, III व IV सेमेस्टर) के सभी विषयों/प्रश्न पत्रों के 75% में उत्तीर्ण होना होगा। तभी वह अगले अकादमिक वर्ष में क्रमोन्नत होने के लिए अर्हित होगा।
4. (क) पहले सेमेस्टर के बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्र तीसरे सेमेस्टर के साथ, तीसरे सेमेस्टर के बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्र पाँचवें सेमेस्टर के साथ, दूसरे सेमेस्टर के बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्र चौथे सेमेस्टर के साथ तथा चौथे सेमेस्टर के बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्र छठे सेमेस्टर के साथ आयोजित किए जाएंगे। पाँचवें और छठे सेमेस्टर के बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्र आगामी वर्ष के क्रमशः पहले और दूसरे सेमेस्टर के साथ आयोजित किए जाएंगे।
(ख) बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्रों को क्लीयर करने के अवसर प्रोग्राम की कुल अवधि(वर्ष में) के समतुल्य दिए जाएंगे जो एमए-जेएमसी में 2 तथा बीए-जेएमसी में 3 अवसर होंगे।
5. आगामी वर्ष में परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों की तत्समय लागू योजना एवं पाठ्यक्रमों के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी और वे उसी वर्ष की डिग्री हासिल करने के हकदार होंगे, जिस वर्ष में उन्होंने अंतिम अनुत्तीर्ण/अन-क्लीयर प्रश्न-पत्र क्लीयर किया है।
6. सेमेस्टर के कुल अंकों के 1% तक अनुग्रह अंक दिए जा सकेंगे।
7. परीक्षार्थी को सेमेस्टर अंतिम परीक्षा (ई ओ एस ई) में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि

(क) वह न्यूनतम 75% उपस्थिति की आवश्यकता पूरी नहीं करता है।

(ख) वह सतत मूल्यांकन के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 36% अंक अर्जित नहीं कर पाता है।

8. संबंधित विभाग/संस्था उन्हीं विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करेंगे, जो उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करते हों। सतत/आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख का रख-रखाव संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जाएगा।
9. निम्नांकित विधि से ग्रेड प्रदान की जाएगी:

ग्रेड अंक	विवरण	% अंक	श्रेणी/ग्रेड
10	अति उत्कृष्ट	90%–99%	प्रथम/ओ
9	उत्कृष्ट	80%–89%	प्रथम/ए
8	अति उत्तम	70%–79%	प्रथम/बी
7	उत्तम	60%–69%	प्रथम/सी
6	संतोषप्रद	50%–59%	द्वितीय/डी
5	औसत	36%–49%	उत्तीर्ण/ई
4	उत्तीर्ण नहीं	36% से कम	एफ

टिप्पणी: (क) ग्रेड का निर्धारण करने के लिए सेमेस्टर अंतिम परीक्षा (ई ओ एस ई) के साथ-साथ आंतरिक परीक्षा, दोनों के प्राप्तांकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) प्रतिशत अंकों को पूर्णांकों में रूपांतरित किया जाएगा। जब प्रतिशत भिन्न में है और 0.5 के समान या अधिक है, तो 1 माना जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रतिशत 69.45 है, तो इसे 69 माना जाएगा, किंतु 69.50% होने पर इसे 70 माना जाएगा। सेमेस्टर ग्रेड अंक औसत (एसजीपीए) किसी सेमेस्टर में विद्यार्थी के प्रदर्शन को इंगित करता है। एसजीपीए विद्यार्थी द्वारा सभी कोर्स में अर्जित क्रेडिट अंको तथा प्रत्येक कोर्स के सेमेस्टर में नियत कुल क्रेडिट संख्या पर आधारित होगा।

कोर्स के लिए क्रेडिट अंक = कोर्स के लिए नियत क्रेडिट संख्या

x कोर्स में अर्जित ग्रेड अंक

एस जी पी ए = सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंक

÷ उस सेमेस्टर के लिए नियत कुल क्रेडिट संख्या

श्रेणी सी जी पी ए (संचयी ग्रेड अंक औसत) के आधार पर प्रदान की जाएगी:

क्र.स.	श्रेणी	ग्रेड अक्षर	ग्रेड अंक
1	विशेष योग्यता सहित प्रथम	O-सीजीपीए	9.00–10.00
2	विशेष योग्यता सहित प्रथम	A-सीजीपीए	8.00–8.99
3	विशेष योग्यता सहित प्रथम	B-सीजीपीए	7.00–7.99
4	प्रथम	C-सीजीपीए	6.00–6.99
5	द्वितीय	D-सीजीपीए	5.00–5.99
6	उत्तीण	E-सीजीपीए	4.00–4.99
7	अनुत्तीण	F-सीजीपीए	4.00 से कम

10. (क) सेमेस्टर प्रश्न-पत्रों के केवल 50% के पुनर्मूल्यांकन/संवीक्षा की अनुमति है।
- (ख) परिणाम की घोषणा के 15 दिवसों के भीतर, निर्धारित शुल्क के भुगतान सहित प्रार्थना किए जाने पर पुनर्मूल्यांकन/संवीक्षा की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) बकाया/सुधारार्थ प्रश्न-पत्र/आंतरिक परीक्षा/प्रायोगिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र की पुनर्मूल्यांकन/संवीक्षा नहीं की जाएगी।
- (घ) संवीक्षा परीक्षक द्वारा की जाएगी या अनुभाग अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी अन्य उच्चतर अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके निमित्त पारिश्रमिक रु. 10/- (न्यूनतम रु. 100/-) प्रति उत्तर पुस्तिका एवं रु. 50/- यात्रा भत्ता देय होगा।
- (ङ) पुनर्मूल्यांकन का पारिश्रमिक स्नातक परीक्षा की प्रति उत्तर-पुस्तिका रु. 20/- (न्यूनतम 50/-) तथा स्नातकोत्तर परीक्षा की प्रति उत्तर-पुस्तिका रु. 30/- (न्यूनतम रु. 50/-) होगा; साथ ही साथ ही यात्राभत्ता रु. 120/- देय होगा।
- (च) पुनर्मूल्यांकन/संवीक्षा के परिणामस्वरूप, यदि परीक्षार्थी की ग्रेड किसी विशेष प्रश्न-पत्र/त्रों में बदल जाती है, उसकी ग्रेड तदनुसार बदल जाएगी। कोर्स/प्रोग्राम के लिए वरीयता क्रम निर्धारित करने में पुनर्मूल्यांकन/संवीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। *
- 11 परीक्षा के अन्य मानक/सन्नियम/विनियम/प्रक्रियाएँ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार होंगी। यदि परीक्षा से संबंधित कोई मुद्दा विश्वविद्यालय के सामने लाया जाता है, जो उपर्युक्त नियमों में कवर नहीं होते हैं, परीक्षा समिति

राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा-नियमों पर विचार करते हुए मामले पर निर्णय लेगी।

12. परीक्षा सम्बंधी शुल्क निम्नानुसार होंगे:

क्र.स.	शुल्क मद	शुल्क राशि रु. में
1	परीक्षा शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	500
2	नामांकरण शुल्क	500
3	अर्हता शुल्क	500
4	प्रतिलिपि शुल्क	3000
5	प्रव्रजन शुल्क	200
6	दूसरी प्रति प्रव्रजन शुल्क	1000
7	अस्थाई प्रमाण-पत्र	200
8	दूसरी प्रति अंकतालिका	200
9	अतिरिक्त अंकतालिका	300
10	पुनर्मूल्यांकन शुल्क (प्रति प्रश्न-पत्र)	300
11	संवीक्षा शुल्क (प्रति प्रश्न-पत्र)	150
12	बकाया प्रश्न-पत्र शुल्क (प्रति प्रश्न-पत्र)	200
13	परीक्षा आवेदन-पत्र का शुल्क	शून्य
14	निर्धारित तारीख के 7 दिनों बाद तक परीक्षा आवेदन-पत्र भरने का विलंब शुल्क	100
15	गोपनीय परिणाम शुल्क	1000
16	योग्यता सूची प्रमाण पत्र शुल्क	शून्य
17	योग्यता सूची प्रमाण पत्र शुल्क (दूसरी प्रति)	500
18	सूचना का अधिकार के अधीन उत्तर-पुस्तिका की फोटो प्रति (प्रति प्रश्न-पत्र)	580
19	दीक्षांत समारोह से पूर्व डिग्री	1500
20	डिग्री (दूसरी प्रति)	500
21	परीक्षा आवेदन-पत्र में विद्यार्थी द्वारा दर्ज तारीख/प्रविष्टि में सुधार (एक वर्ष के भीतर)	200
22	परीक्षा आवेदन-पत्र में विद्यार्थी द्वारा दर्ज तारीख/प्रविष्टि में सुधार (एक वर्ष बाद)	500